

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -54

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2022-01675

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "पं. गिरजानंदन शिखर", प्रमोटर-मेसर्स गिरजानंदन शिखर, द्वारा-श्री धीरेन्द्र बाजपेयी, पता-वार्ड नं.-09, बी.डी. महंत वार्ड, परशुराम चौक, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग)  
प्रोजेक्ट-"पं. गिरजानंदन शिखर" चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
31/01/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2023 का पालन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि रूपये 25,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 25.08.2023 को जमा कर, दिनांक 18.01.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण किया जा चुका है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	